



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
Employees Provident Fund Organisation  
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4<sup>th</sup> फ्लोर, ईस्ट किदवर्ड नगर, नईदिल्ली -110023  
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4<sup>th</sup> Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023  
Website: [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in), [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)

फाइल संख्या. एचआरडी-II/52/2024/एपीएआर/2023-24/1336

दिनांक: 09 अप्रैल 2025

सेवा में,

सभी अपर कै.भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास)  
सभी अपर कै.भ.नि.आयुक्त (अंचल)  
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त /ओआईसी जो क्षेत्रीय कार्यालय /प्र.से.प्र.- मुख्यालय / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान / जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी

विषय: वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने की समयसीमा का विस्तार के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया विभिन्न एपीएआर गतिविधियों को पूरा करने की समयसीमा के संबंध में मुख्यालय के दिनांक 24.09.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-11/52/2024/अपार-परिपत्र/1100 और दिनांक 20.11.2024 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/52/2024/अपार/2023-24/1153 दिनांक 25.02.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी 11/52/2024/एपीएआर/2023-24/1288 और दिनांक 24.03.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी II/52/2024/एपीएआर /2023-24/1315 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, वर्ष 2023-24 के लिए (एपीएआर) के प्रकटीकरण और अपील प्रक्रिया की समयसीमा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

क्र.सं.	गतिविधियाँ	समयसीमा (नियत तिथि या उससे पूर्व पूर्ण किया जाए)
1.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना	24 मार्च, 2025
2.	पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना	09 अप्रैल, 2025 (04:00 अपराह्न)
3.	अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है को एपीआर का प्रकटीकरण	09 अप्रैल, 2025 (शाम 04:00 बजे से)
4.	अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है द्वारा एपीआर पर अभ्यावेदन यदि कोई हो तो देना	प्रकटीकरण की तिथि से 10 दिनों के भीतर अर्थात् 19 अप्रैल 2025
5.	एपीएआर कस्टोडियन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करना	26 अप्रैल, 2025
6.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान करना तथा उसे एपीएआर कस्टोडियन को अग्रेषित करना	03 मई 2025
7.	एपीएआर कस्टोडियन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है को देना।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के 10 दिनों के भीतर अर्थात् 13 मई 2025 तक
8.	एपीएआर प्रक्रिया का समाप्ति जिसके बाद एपीएआर को अंततः रिकॉर्ड में रखा जाएगा	18 मई, 2025

(यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है)

(इंद्राज सिंह)  
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (एचआरडी-II)

प्रतिलिपि (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

- क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) को वेब अपलोड हेतु।
- कै.भ.नि.आयुक्त, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव को सूचनार्थ।